[2018] 1 एस.सी.आर. 814

केंद्रीय उत्पाद आयुक्त, बेलगाम

बनाम

मेसर्स वासवदत्त सीमेंट लिमिटेड

सिविल अपील नं. 11710/2016

17 जनवरी, 2018

ए.के. सिकरी और अशोक भूषण, जेजे।

सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004:

नियम 2 (1)-सेनवैट क्रेडिट-इनपुट पर-इनपुट सेवा पर। यानी, डिपो या खरीदारों के परिसर से हटाने के स्थान से अंतिम उत्पादों के परिवहन पर भुगतान किया गया कर-अवधारित किया गया कि निर्धारिती पहले बिंदु तक हटाने के स्थान से अंतिम उत्पाद के परिवहन पर भुगतान किए गए कर पर सेनेट क्रेडिट का हकदार है चाहे वह डिपो हो या ग्राहक।

राजस्व की अपील को खारिज करना और मूल्यांकनकर्ताओं को अनुमति देना, न्यायालय अवधारित किया गया कि आर में प्रयुक्त अभिव्यक्ति। सेनवैट क्रेडिट रूल्स, 2004 का 2 (1) में प्रयुक्त अभियुक्ति का अभिप्राय "हटाने की जगह से" है। यह एक निश्चित बिंदु तक हटाने के स्थान से होना चाहिए। इसलिए, पहले बिंदु तक हटाने के स्थान से अंतिम उत्पाद के परिवहन पर भुगतान किया गया कर, चाहे वह डिपो हो या ग्राहक, को अनुमति दी जानी चाहिए। इस दृश्य को उस संशोधन का समर्थन मिलता है जो कि किया गया है। 01.04.2008 जिससे पूर्वोक्त अभिव्यक्ति "हटाने के स्थान से" द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है “हटाने की जगह"। इस प्रकार, 01.04.2008 से, पूर्वोक्त संशोधन के साथ, सेनवैट क्रेडिट केवल हटाने के स्थान तक उपलब्ध है, जबकि हटाने के स्थान से संशोधित नियम के अनुसार जिसे डिपो के स्थान या ग्राहक के स्थान तक होना है, जैसा भी मामला हो। अपील किसी भी योग्यता से परे हैं और तदनुसार खारिज कर दिए जाते हैं। [पैरा 7, 8 और 9] [819-ई-जी; 820-बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील नं. 11710/2016 सीईए नं. 301/2010 में गुलबर्गा में कर्नाटक सर्किट बेंच उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 24.09.2010 से।

के साथ सी. ए. नं. 10300/2011;

11923,11914,11898,11899,11919,11904,11925,11870,11924,11900-11901,11402,11909,11403,11947,11946,11920,11874,11913,11399,11401,11902,11877-11884,11876,11922,11921,11400,11875/2016

के. राधा कृष्णन, वाईपी अधयारू, सीनियर सलाहकार., अरिजीत प्रसाद, रूपेश कुमार, सुश्री साधना संधू, एच. आर. राव, सुश्री गार्गी खन्ना, मानसिंह पुष्कर, सुश्री निशा बागची, सुश्री शिरीन खजुरिया, ज़ोहिब, सुश्री ओझा शर्मा, सुश्री संस्कृति भारद्वाज, सुश्री आयुषी गौर, बी. कृष्ण प्रसाद, सुश्री अनिल कटियार, अरूप बनर्जी, सर्वेंद्र कुमार, प्रकाश शर्मा, चावा बद्रीनाथ बाबू, वी. वी. रायडू, रामेश्वर प्रसाद गोयल, कार्तिक के., प्रवीण कुमार, एसबीआई शर्मा, सुश्री बबीता एस., सलाहकार- अपीलकर्ताओं के लिए।

एस. बागरिया, सीनियर सलाहकार., वी. लक्ष्मी कुमारन, आदित्य भट्टाचार्य, अजीत कुमार, विक्टर दास, सुश्री अपेक्षा मेहता, एमपी देवनाथ, आर. पार्थसारथी, एसजे अमित, पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, मुकेश कुमार सिंह, आर. सी. प्रकाश, डॉ. (श्रीमती) विपिन गुप्ता, सुमित गोयल, अभिराम नाइक, सुश्री तनुज अग्रवाल, मैसर्स. पारेख एंड कंपनी, सुश्री वनिता भार्गव, अभिसार बैरागी, मैसर्स. खेतान एंड कंपनी, रंजीत बी. राउत, श्रीमती बीना गुप्ता, सुश्री सुरभि कपूर, निखिल स्वामी, सुश्री दिव्या स्वामी, श्रीमती प्रभा स्वामी, बी. कृष्ण प्रसाद, आनंद सुकुमार, एस. सुकुमारन, भूपेश कुमार पाठक, सुश्री मीरा माथुर, एल. बद्री नारायणन, आदित्य भट्टाचार्जी, विक्टर दास, योगेंद्र अलदक, करण सचदेव, बालाजी श्रीनिवासन, गरवेश काबरा, सोमनाथ शुक्ला, उदित जैन, विवेक शर्मा, सुश्री अश्विनी चंद्रशेखरन, प्रवीण कुमार, अभिषेक आनंद, हरीश पांडे, सलाहकार- उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति **ए. के. सिकरी, जे.**, द्वारा दिया गया-

सी. ए. 11710/2016, सी. ए. नं. 11923/2016, सी. ए. नं. 11914/2016, सी. ए. नं. 11898/2016, सी. ए. नं. 11899/2016, सी. ए. नं. 11919/2016, सी. ए. नं. 11904/2016, सी. ए. नं. 11925/2016, सी. ए. नं. 11870/2016, सी. ए. नं. 11924/2016, सी. ए. नं.

11900-11901/2016, सी. ए. नं. 11909/2016, सी. ए. नं. 11402/2016, सी. ए. नं. 11403/2016, सी. ए. नं. 11947/2016, सी. ए. नं. 11946/2016, सी. ए. नं. 11920/2016, सी. ए. नं. 11874/2016, सी. ए. नं. 11903/2016, सी. ए. नं. 10300/2011, सी. ए. नं. 11913/2016, सी. ए. नं. 11399/2016, सी. ए. नं. 11401/2016, सी. ए. नं. 11902/2016, सी. ए. नं. 11877-11884/2016, सी. ए. नं. 11876 /2016, सी. ए. नं. 11922/2016 और सी. ए. नं. 11921/2016।

1. इन अपीलों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (यहां "सीईएसटीएटी" के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत सीईएसटीएटी ने उत्तरदाताओं को अनुमति दी है (बाद में इसे "मूल्यांकनकर्ता" के रूप में संदर्भित किया गया है) माल परिवहन एजेंसी सेवा पर सेनवैट क्रेडिट को डिपो या खरीदारों के परिसर से हटाने के स्थान से माल के परिवहन के लिए लाभ उठाया गया। आयुक्त के मामले में सीईएसटीएटी द्वारा मुख्य निर्णय दिया गया था केंद्रीय उत्पाद शुल्क और एसटी यूनिट बैंगलोर बनाम मैसर्स एबीबी लिमिटेड. 18.05.2009 के पूर्वोक्त निर्णय को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 23.03.2011 के विचाराधीन निर्णय द्वारा बरकरार रखा है। अन्य सभी मामलों में इस निर्णय का पालन किया गया है।

2. संपूर्ण मुद्दा उस व्याख्या पर टिका है जिसे इनपुट सेवा को दिया जाना है जिसे सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 2 (1) में परिभाषित किया गया है। यह इस स्तर पर ही कहा जा सकता है कि ये सभी अपीलें 01.04.2008 से पहले की अवधि से संबंधित हैं। पूर्वोक्त नियम में संशोधन 01.04.2008 से किया गया था। 01.04.2008 के रूप में इसके बाद देखा जाएगा। हालाँकि, चूंकि हम अपरिवर्तित नियम से संबंधित हैं, इसलिए हम यहां उसी को पुनः प्रस्तुत करते हैंः

"(1. 'इनपुट सेवा' का अर्थ है कोई भी सेवा, -

(i) आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए कर योग्य सेवा के प्रदाता द्वारा उपयोग किया जाता है; या

(ii) निर्माता द्वारा उपयोग किया जाता है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अंतिम उत्पादों के निर्माण के संबंध में या हटाने के स्थान से अंतिम उत्पादों की निकासी, और स्थापना, आधुनिकीकरण, नवीकरण या मरम्मत के संबंध में उपयोग की जाने वाली सेवाएं शामिल हैं।

एक कारखाना, आउटपुट सेवा प्रदाता का परिसर या ऐसे कारखाने या परिसर से संबंधित कार्यालय, विज्ञापन या बिक्री, प्रचार, बाजार अनुसंधान, हटाने के स्थान तक भंडारण, इनपुट की खरीद, गतिविधियों का संबंध व्यवसाय के लिए, जैसे कि लेखांकन, ऑडिटिंग, वित्तपोषण, भर्ती और गुणवत्ता नियंत्रण, कोचिंग और प्रशिक्षण, कंप्यूटर नेटवर्किंग, क्रेडिट रेटिंग, शेयर रजिस्ट्री और सुरक्षा, इनपुट या पूंजीगत वस्तुओं के आंतरिक परिवहन और निष्कासन के स्थान तक बाहरी परिवहन;"

3. सीईएसटीएटी की पूर्ण पीठ द्वारा मेसर्स एबीबी लिमिटेड मामला, जिसे कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पुष्ट किया है, ने पूर्वोक्त नियम की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह दो भागों में है। पहले भाग में, इनपुट सेवा को अभिव्यक्ति "साधन" के साथ परिभाषित किया गया है और उस संदर्भ में इनपुट सेवा को किसी प्रदाता द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। एक कर योग्य सेवा या एक आउटपुट सेवा प्रदान करना या निर्माता द्वारा उपयोग किया जाता है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अंतिम उत्पादों के निर्माण और अंतिम उत्पादों की निकासी के संबंध में "हटाने के स्थान से"। यह आगे कहा गया है कि परिभाषा का दूसरा भाग "शामिल" से शुरू होता है जहां कुछ सेवाओं का उल्लेख किया गया है, जिन्हें "इनपुट सेवाओं" के रूप में शामिल किया गया है।

4. हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि तत्काल अपील में, हम परिभाषा के पहले भाग से चिंतित हैं। दूसरे भाग के रूप में इनफ़ॉफ़र का संबंध है, कुछ सामग्री, जिन्हें कुछ मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा उठाया गया है, को अस्वीकार कर दिया गया है और यह पहलू विभाग के पक्ष में तय किया गया है। चूंकि ये अपीलें विभाग द्वारा दायर की जाती हैं, जो पहले भाग के संबंध में सीईएसटीएटी के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या पर सवाल उठाती हैं, इसलिए हम निर्णय के रूप में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, दूसरे भाग से संबंधित सीईएसटीएटी का संबंध है।

5. परिभाषा के पहले भाग में वापस आ रहा है कि इनपुट सेवा का क्या अर्थ है, सीईएसटीएटी की पूर्ण पीठ ने कहा कि सभी इनपुट सेवाएं जो निर्माता द्वारा उपयोग की जाती हैं, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अंतिम उत्पादों के निर्माण और मंजूरी के संबंध में। हटाने के स्थान से अंतिम उत्पादों का संबंध है, उन्हें इनपुट सेवाओं के रूप में माना जाता है और ऐसी सेवाओं के संबंध में किए गए व्यय के संबंध में सेनवैट क्रेडिट स्वीकार्य होगा। वह अभिव्यक्ति जिसके साथ

सीईएसटीएटी का संबंध था, और जो चर्चा का विषय था, वह यह था कि "हटाने के स्थान से" का क्या अर्थ होगा। जाहिर है, अंतिम उत्पादों की निकासी के लिए दी गई कोई भी इनपुट सेवा "हटाने के स्थान से" और कर का भुगतान किया जाता है, जिसमें सेनवैट क्रेडिट दिया जाना है। सवाल हटाने के स्थान से किस स्थान तक है। मूल्यांकनकर्ताओं ने निष्कासन के स्थान से अंतिम उत्पादों के परिवहन पर भुगतान किए गए कर का दावा किया था (यानी। निर्माण का स्थान) या तो अपने संबंधित डिपो के लिए जगह या ग्राहकों के स्थान तक परिवहन, अगर सामान हटाने की जगह से सीधे ग्राहकों के स्थान पर वितरित किया गया था। यह स्पष्ट किया जाता है कि हटाने के स्थान से परिवहन के केवल पहले सेट का दावा किया गया था। इसे अन्यथा रखने के लिए, उन मामलों में जहां डिपो के स्थान से हटाने के स्थान से माल पर परिवहन पर भुगतान किया गया था, केवल दावा किया गया था और यदि ऐसा कोई कर फिर से डिपो के स्थान से भुगतान किया गया था, ग्राहकों, सेनवैट क्रेडिट का दावा नहीं किया गया था और इसके बारे में कोई विवाद नहीं है।

6. सीईएसटीएटी की पूर्ण पीठ के पूर्वोक्त दृष्टिकोण, को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, पूरी तरह से सही प्रतीत होता है और उसमें कोई त्रुटि नहीं पाते हैं तथा हम सुविधा के लिए उच्च न्यायालय के निर्णय में निहित निम्नलिखित चर्चा को पुनः प्रस्तुत करते हैं-

"30. 'इनपुट सेवा' की परिभाषा में दोनों शब्द शामिल हैं 'मतलब' और 'शामिल', लेकिन 'मतलब और शामिल नहीं'। भाग जिस शब्द पर मतलब शब्द लागू होता है, उसकी परिभाषा होनी चाहिए, प्रतिबंधात्मक रूप से माना जाता है क्योंकि यह संपूर्ण है। हालांकि, भाग जिस परिभाषा में शब्द शामिल है, उसे लागू करना होगा उदारतापूर्वक माना जाता है क्योंकि यह व्यापक है, का संपूर्ण भाग 'इनपुट सेवा' की परिभाषा द्वारा उपयोग की जाने वाली सेवा से संबंधित है निर्माता, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या के संबंध में अंतिम उत्पादों का निर्माण। इसमें निकासी भी शामिल है हटाने के स्थान से अंतिम उत्पाद। इसलिए, सेवाएं के स्थान से निर्माता द्वारा प्राप्त या प्रदान किया गया जब तक यह अपने गंतव्य तक पहुंचता है तब तक हटाने की परिभाषा के भीतर आता है। ऐसी कौन सी सेवाएं हैं जो आम तौर पर एक निर्माता हटाने के स्थान से एक ग्राहक को प्रस्तुत करेगा? वे पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, परिवहन, वितरण आदि हो सकते हैं। यद्यपि परिवहन शब्द का विशेष रूप से उपयोग नहीं किया जाता है, उस संदर्भ में कहा गया है जिसमें वाक्यांश 'की मंजूरी' हटाने के स्थान से अंतिम उत्पादों का उपयोग किया जाता है, इसमें शामिल हैं परिवहन शुल्क। क्योंकि, अंतिम उत्पादों के बाद हटाने की जगह पर पहुंच गया,

अंतिम उत्पादों को साफ करने के लिए कुछ भी नहीं उक्त अंतिम उत्पादों के परिवहन को छोड़कर और अधिक करने की आवश्यकता है विशेष रूप से ऐसी कौन सी सेवा है, जो इनपुट सर्विस के अन्तर्गत हैं, उसकी परिभाषा में आता है। उक्त के ग्राहक/खरीदार उत्पाद, कुछ सहायक सेवाओं में भाग लेने के अलावा ऊपर उल्लेख किया गया है जो तैयार की उचित डिलीवरी सुनिश्चित करता है ग्राहक तक उत्पाद। इसलिए, ऐसी सभी सेवाएं प्रदान की गईं निर्माता द्वारा 'इनपुट' की परिभाषा में शामिल हैं सेवा"। हालांकि, जैसा कि विधायिका ने शब्द का उपयोग करने के लिए चुना है परिभाषा के इस हिस्से में 'मतलब', इसे मानना होगा कड़ाई से और प्रतिबंधात्मक तरीके से। 'इनपुट को परिभाषित करने के बाद निर्माता द्वारा प्रतिबंधात्मक तरीके से उपयोग की जाने वाली सेवा परिभाषा के बाद के हिस्से में, विधायिका ने शब्द का उपयोग किया है 'शामिल हैं'। इसलिए, परिभाषा के बाद के हिस्से को होना चाहिए उदारतापूर्वक गठित। विशेष रूप से वे कौन सी सेवाएं हैं जो गिरती हैं 'इनपुट सेवा' की परिभाषा के भीतर स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है परिभाषा का वह हिस्सा। इसके बाद, 'व्यवसाय से संबंधित गतिविधियाँ' शब्द-एक ओमनी-बस वाक्यांश का उपयोग 'इनपुट सेवा' शब्द के अर्थ का विस्तार करने के लिए किया जाता है। हालांकि, ओमनी-बस वाक्यांश का उपयोग करने के बाद, उदाहरण दिए गए हैं। इसमें परिवहन भी शामिल है। उपयोग किए गए शब्द हैं (ए) इनपुट या पूंजीगत वस्तुओं का आंतरिक परिवहन (बी) हटाने के स्थान तक बाहरी परिवहन। आंतरिक परिवहन से निपटने के दौरान, उन्होंने विशेष रूप से 'इनपुट' या 'पूंजीगत सामान' शब्दों का उपयोग किया है। किन्तु बाहरी परिवहन से निपटने के दौरान उन दो शब्दों को स्पष्ट रूप से गायब कर दिया गया है। कारण, कारखाने के परिसर में इनपुट या पूंजीगत सामान के आंतरिक परिवहन के बाद, यदि अंतिम उत्पाद उभरता है, तो उस अंतिम उत्पाद को कारखाने के परिसर से गोदाम तक ले जाना पड़ता है, इससे पहले कि वह ग्राहक को दिया जाए। इसलिए, 'इनपुट सेवा' में न केवल इनपुट या पूंजीगत वस्तुओं का आंतरिक परिवहन शामिल है, बल्कि इसमें वें का बाहरी परिवहन भी शामिल है, अंतिम उत्पाद हटाने की जगह तक। इसलिए, परिभाषा के बाद के हिस्से में, बाहरी परिवहन के लिए एक बाहरी सीमा निर्धारित की जाती है, अर्थात, हटाने के स्थान तक।

7. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पूर्वोक्त नियम में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "हटाने के स्थान से" है। यह एक निश्चित बिंदु तक हटाने के स्थान से होना चाहिए। इसलिए, पहले बिंदु तक हटाने के स्थान से अंतिम उत्पाद के परिवहन पर भुगतान किया गया कर, चाहे वह डिपो हो या ग्राहक, को अनुमति दी जानी चाहिए।

8. हमारे विचार को उस संशोधन का समर्थन मिलता है जो नियम बनाने वाले प्राधिकरण द्वारा किया गया है। 01.04.2008 अधिसूचना सं। 10/2008 सीई (एनटी) दिनांक 01.03.2008 जिसमें "हटाने के स्थान से" पूर्वोक्त अभिव्यक्ति को "हटाने के स्थान तक" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इस प्रकार, 01.04.2008 से, पूर्वोक्त संशोधन के साथ, सेनवैट क्रेडिट केवल हटाने के स्थान तक उपलब्ध है, जबकि हटाने के स्थान से संशोधित नियम के अनुसार जो या तो डिपो के स्थान तक होना है या ग्राहक का स्थान, जैसा भी मामला हो। इस पहलू को उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित तरीके से आक्षेपित निर्णय में भी नोट किया हैः

“हालांकि, हमारे द्वारा 'हटाने के स्थान से अंतिम उत्पादों की निकासी' और अधिसूचना 10/2008 सीई (एनटी) द्वारा बाद के संशोधन पर रखी गई व्याख्या 1.03.2008 को उक्त वाक्यांश के स्थान पर 'से' शब्द को प्रतिस्थापित करती है। 'तक' यह स्पष्ट करता है कि परिवहन शुल्क को उक्त प्रतिस्थापन की तारीख तक 'हटाने की जगह से निकासी' वाक्यांश में शामिल किया गया था और इसे 'व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों' वाक्यांश में शामिल नहीं किया जा सकता है।”

9. पूर्वोक्त चर्चा के मद्देनजर हम मानते हैं कि अपील किसी भी योग्यता से परे हैं और तदनुसार खारिज कर दी जाती हैं। सिविल अपील नं. 11400/2016; हम पाते हैं कि सीईएसटीएटी ने अपीलकर्ता की अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि 85 दिनों की देरी है और इस आदेश को उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा है। अन्यथा, हम पाते हैं कि इस अपील में उठाए गए कानूनी मुद्दे को कर्नाटक उच्च न्यायालय की उसी खंडपीठ ने निर्धारिती के पक्ष में तय किया है और इस आदेश को इस खंडपीठ ने उपरोक्त मामलों में यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बेलगाम बनाम मेसर्स वासवदत्त सीमेंट्स लिमिटेड (सिविल अपील नंबर (एस)) 11710/2016 और अन्य जुड़े मामले) विभाग द्वारा पसंद किए गए। इन कारणों से, हम सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर करने में देरी को माफ़ करते हैं। हम पाते हैं कि अपीलकर्ता इस न्यायालय के निर्णय के लाभ का भी हकदार है।

10. यह अपील तदनुसार केंद्रीय उत्पाद आयुक्त बेलगाम बनाम मैसर्स वासवदत्त सीमेंट्स लिमिटेड (सिविल अपील नंबर (एस)) 11710/2016 और अन्य जुड़े मामले आयुक्त द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुसार स्वीकृत की जाती है। सिविल अपील नं. 18897/2017।

11. निर्धारिती (एस) द्वारा प्रस्तुत की गई इस अपील को केंद्रीय उत्पाद आयुक्त बेलगाम बनाम मैसर्स। वासवदत्त सीमेंट्स लिमिटेड (सिविल अपील नंबर (एस))। 11710/2016 और अन्य जुड़े मामले।) में पारित आदेश के परिपेक्ष्य में स्वीकृत की जाती है।

अपील का निपटारा किया गया।

कल्पना के. त्रिपाठी

Jai Shankar Mishra